<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 168/2022

(सी.आई.एस.नं.-168/2022)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

इकबाल खान पुत्र मसीउल्ला खान, उम्र 33 वर्ष, निवासी पिड़ावा, पुलिस थाना पिड़ावा, जिला-झालावाड़ (राज.) **— अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 427 भा.दं.सं.

एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री महेन्द्र सिंह झाला, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः- 27.04.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.11.2021 को परिवादी मुकेश पुत्र दुलाजी, उम्र 27 वर्ष, निवासी सेमली चौहान ने उपस्थित पुलिस थाना होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-2) इस आशय के तथ्यों की पेश की कि वह गांव सेमली चौहान का रहने वाला है। वह पिड़ावा में बेलदारी का काम करता है। आज सुबह वह काम पर पिड़ावा आ गया था, दिन के करीब 1.30 बजे लन्च के टाईम में वह और उसका दोस्त मुकेश पुत्र कैलाश प्रजापत को मोबाईल दिखाने के लिये तलाई चौक पिड़ावा आये थे। उसने उसकी मोटर साईकिल नं. आर.जे. 17 एस.एफ. 4628 को पल्टा रहा था, तभी उसकी मोटर साईकिल वहां पर एक ठेला खड़ा था, जो इकबाल भाई पुत्र समरउल्ला खान पिड़ावा का था, जिसके टकरा गई, जिस पर इकबाल भाई बोला उसके ठेले की रिप टूट गई, यह डलवा के दे। तब उसने बोला चलों वह इसे ठीक करवा देता है। वे दुकान पर गये, तो वहां पर रिप नहीं मिली, तो इकबाल भाई 500/-रूपये मांगने लगे, तब उसने मना किया कि रिप तो 30/-रूपये की आती है। वह 500/-रूपये नहीं देगा। तब इकबाल भाई ने उसकी मोटर साईकिल को नीचे गिरा दिया तथा लातों से उसकी मोटर साईकिल का वाईजर टूट गया तथा उसको पकड़ कर पिकअप के

भड़िका, जिससे उसके सिर में लगी और वह चिल्लाने लगा तो वहां पर दौड़कर बहादुर सिंह आया तथा बीच-बचाव किया। रिपोर्ट करने आया है, उचित कार्यवाही की जावे इत्यादि।

2- उक्त तथ्यों की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पिड़ावा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-228/2021, अन्तर्गत धारा 341, 323, 427 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 03.11.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 427 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 17.04.2023 को अभियुक्त इकबाल खान को धारा 341, 323, 427 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने विचारण अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में गवाह पी.ड.-1 डॉ. पवन कुमार, पी.ड.-2 मुकेश, पी.ड.-3 मुकेश प्रजापत, पी.ड.-4 बहादुरसिंह, पी.ड.-5 धन्नाराम व पी.ड.-6 बाबूलाल के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन मजरूब मुकेश प्रदर्श पी.-1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-4, फर्द डेमेज मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-5, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-6, पुलिस बयान मुकेश प्रजापत प्रदर्श पी.-7, मुलजिम का धारा 41ए दं.प्र.सं. का नोटिस प्रदर्श पी.-8 व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम इकबाल खान प्रदर्श पी.-9 को प्रदर्शित करवाया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व उसका निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित

अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण का परिवादी पी.ड.-2 मुकेश ने उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 के विरोधाभासी बयान दिये है। उक्त परिवादी मुकेश के बयानों की ताईद वक्त घटना उसके साथ गये साक्षी पी.ड.-3 मुकेश प्रजापत ने नहीं की है तथा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा घटना में अभियुक्त व परिवादी का बीच-बचाव करने वाला प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड.-4 बहादुर सिंह ने भी परिवादी के साथ हुई घटना की ताईद नहीं की है। गवाह पी.ड.-6 बाबूलाल नक्शा मौका का साक्षी है। परिवादी के कारित चोटों की पुष्टि चिकित्सक साक्षी पी.ड.-1 डॉ. पवन कुमार ने नहीं की है तथा मजरूब के चोटें मोटर साठेकिल से गिरने से आना बताता है। गवाह पी.ड.-5 धन्नाराम प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है। अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित कर पाने में असफल है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.11.2021 को दोपहर के करीब 1.30 बजे या इसके लगभग मौजा सेमली चौहान में परिवादी मुकेश के साथ मारपीट करने के आशय से उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसे उस दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में उसे जाने का विधिक अधिकार था तथा परिवादी मुकेश के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए, कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी मुकेश की मोटर साईकिल में तोड़-फोड़ की, उसे पचास रूपये से अधिक का नुकसान कर रिष्टि कारित की तथा परिवादी के जाति से मेहर होकर, अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए, उसके साथ उक्त अपराध कारित किये ?''

10- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जिसमें से गवाह पी.ड.-1 डॉ. पवन कुमार

चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.11.21 को सी.एच.सी. पिडावा में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना पिडावा के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब मुकेश के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया। बाद परीक्षण उसके सिर के पीछे बांयी तरफ 1*0.2*0.1 सेमी का कुचला हुआ घाव था जो सामान्य प्रकृति का एवं कुन्दालय से कारित था एवं जो 2 घंटे के भीतर का था। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उक्त चोट मोटर साईकिल से गिरने से आ सकती है।

11- गवाह पी.ड.-2 मुकेश स्वयं परिवादी/मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 3 साल पहले दिन के 2.00 बजे की बात है। वह और उसका दोस्त मुकेश मोटर साईकिल से पिडावा से अपने गांव आ रहे थे। पिडावा में तलाई के पास उसकी मोटर साईकिल ठेले से टकरा गई, तो ठेले वाले इकबाल ने उससे कहा कि तूने मेरे ठेले की रिप तोड दी है। उसने उससे कहा कि तेरा नुकसान हो गया है तो वह सही करवा देता है। फिर वे दुकान पर ठेला ठीक करवाने गये। उसने पूछा ठेला ठीक करने के कितने पैसे लगेंगे तो उसने कहा कि 50/-रूपये लगेंगे। लेकिन रिप उसके पास नहीं है तो इकबाल ने उससे कहा कि तू मुझे 500/-रूपये दे। उसने कहा कि उसके पास 500/-रूपये नहीं है, तो उसने उसके लात की मारी और उसकी मोटर साईकिल को भी लात की मारी। वह गिरा तो उसके सिर पर पिकअप की कील से लग गई थी। उसने उसकी गाडी के साथ भी तोड-फोड की। घटना की तहरीरी रिपोर्ट उसके द्वारा थाने में पेश की गई, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-4 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके शरीर पर आई चोटों का मेडीकल करवाया था। जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-6 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसने उसकी मोटर साईकिल ठेले से टकराने वाली बात पुलिस को बता दी थी और पुलिस ने लिख ली थी। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि वहां खडी पिकअप किसकी थी। आगे स्वीकार किया है कि वह इकबाल को नहीं जानता है और ना ही इकबाल उसे जानता है। उसकी मोटर साईकिल चोराया तलाई चौक पिडावा के यहां ठेले से टकराई थी।

12- गवाह पी.ड.-3 मुकेश प्रजापत परिवादी/मजरूब का दोस्त होकर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पहले दिन के 3-4 बजे की बात है। वह और उसका दोस्त मुकेश मोटर साईकिल से पिडावा आये थे और पिडावा से वापस अपने गांव आ रहे थे, तो तलाई के पास उनकी मोटर साईकिल ठेले से टकरा गई, तो ठेले वाले ने उनसे कहा कि उन्होंने उसके ठेले की रिप तोड दी है और उसके ठेले का नुकसान हो गया है। उसका ठेला ठीक करा दो। फिर वे दुकान पर ठेला ठीक करवाने गये, तो दुकानदार ने कहा कि उसके पास रिप नहीं है, उन्होंने कहा वे उन्हें रिप के पैसे दे देते है। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि रिप कितने की आती है तो उसने कहा कि 70 रूपये की आती है। लेकिन ठेले वाले ने उनसे 500 रूपये मांगे, तो उन्होंने 500 रूपये नहीं दिये तो ठेले वाले और मुकेश का झगडा हो गया। ठेले वाले ने मुकेश की बाईक तोड दी और मुकेश को धक्का दिया। मुकेश के सिर में पीछे खडी गाडी पिकअप के कीले की लग गई। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-4 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द डैमेज मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि ठेला ठीक कराने वाली दुकान भी चौराहा तलाई के पास ही थी। आगे स्वीकार किया है कि वे घटना से पहले ठेले वाले को नहीं जानते थे तथा ठेले वाला भी उन्हें नहीं जानता था।

13- गवाह पी.ड.-4 बहादुर सिंह परिवादी/मजरूब का दोस्त होकर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पहले की बात है। उसका दोस्त मुकेश मेहर व मुकेश प्रजापत दोनों मोटर साईकिल से बाजार जा रहे थे। मुकेश की मोटर साईकिल इकबाल खान के ठेले से टकरा गई, जिससे इकबाल खान के ठेले की रिप टूट गई और मुकेश की मोटर साईकिल का वाइजर टूट गया। इकबाल ने मुकेश से कहा कि उसके ठेले की रिप टूट गई है तू सही करवा दे। मुकेश ने सही करवाने के लिए हां कर दी, किन्तु इकबाल ने कहा कि उसे पैसे दे और उसके साथ मारपीट करने लग गया। मुकेश के सिर को पास खडी पिक-अप पर पटक दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई। उसने और मुकेश प्रजापत ने बीच-बचाव किया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जहां मोटर साईकिल टकराई थी और जहां मोटर साईकिल सही कराने ले गये, के बीच करीब 500 मीटर की दूरी है। आगे स्वीकार किया है कि ठेले से मोटर साईकिल रोड पर टकराई थी। आगे स्वीकार किया है कि इकबाल को वह

पहले से नहीं जानता था। मुकेश भी इकबाल को पहले से नहीं जानता था। आगे स्वीकार किया है कि मोटर साईकिल ठेले से टकराई तो मोटर साईकिल भी नीचे गिर गई थी।

14- गवाह पी.ड.-5 धन्नाराम अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4 साल पहले की बात है। वह दिनांक 17.11.2021 को वृताधिकारी पिडावा के पद पर तैनात रहते हुए, उसे पुलिस थाना पिडावा के मुकदमा नं.-228/21 के अनुसंधान हेतु पत्रावली प्राप्त हुई। दोरान अनुसंधान उसने गवाह मुकेश, बहादुर सिंह, मुकेश प्रजापत के बयान लेखबद्व किये थे। उसने घटना का नक्शा मोका प्रदर्श पी.-4 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर व ए से बी, सी से डी, जी से एच गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसने अनुसंधान के दोरान फर्द डैमेज मोटर साइकिल प्रदर्श पी.-5 बनायी, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान उसने फरियादी जाति प्रमाण लिया था। फरियादी का मेडिकल मुआयना करवाया, जो पत्रावली में शामिल है। उसने मुलजिम को 41ए का नोटिस दिया, जो प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मुलजिम इकबाल खान को गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी व ई से एफ गवाहान पूनमचंद व राजेश के हस्ताक्षर तथा जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर एवं एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। उसने मुलजिम का पत्रावली में फोटो चस्पा किया। उसने सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम के विरूद्ध धारा 323, 341, 427 भा.दं.सं. व धारा 3-2(वीए) का जुर्म प्रमाणित पाया था। बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी फजलूर्रहमान द्वारा न्यायालय में चार्ज शीट पेश की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में यह आया था कि फरियादी की मोटर साकिल मुलजिम के ठेले से टकरायी थी, जिसमें ठेले में टूट-फूट हुयी थी। आगे स्वीकार किया है कि फरियादी ओर मुलजिम दोनों अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं। आगे स्वीकार किया है कि तफ्तीश में कहीं नहीं आया हो कि मुलजिम पहले से फरियादी को जानता हो और फरियादी पहले से मुलजिम को जानता हो, फिर स्पष्ट किया है कि हांलाकि दोनों एक-दूसरे को जानते हो।

15- गवाह पी.ड.-6 बाबूलाल फर्द नक्शा मौका व डेमेज मोटर साईकिल का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4 साल पहले की बात है। पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी.-4 बनाया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने दिनांक 18.11.2021 को फर्द डेमेज एक मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर

पुलिस द्वारा जब्त की गयी तथा उसके बारे में पूछताछ की गयी थी। फर्द डेमेज प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

16- अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-2 मुकेश व उसके द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 का अवलोकन किया जाये, तो परिवादी ने अपने बयानों में स्वयं द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 की ताईद करते हुए कहा है कि यह व इसका दोस्त मुकेश प्रजापत अपने गांव मोटर साईकिल से आ रहे थे, तो इसकी मोटर साईकिल ठेले से टकरा गई, ठेले वाले इकबाल ने इसे कहा कि तूने मेरे ठेले की रिप तोड़ दी है, तो उसने कहा कि उसे सही करवा देता हूं तो यह ठेला ठीक करवाये गये तो दुकान वाले ने कहा कि 50/-रूपये लगेंगे, लेकिन रिप उसके पास नहीं है तो अभियुक्त इकबाल ने इसे कहा कि 500/-रूपये दे, तब इसने कहा कि 500/-रूपये नहीं है, तो उसने इसके लात मारी, इसकी मोटर साईकिल को भी लात मारी, जिससे यह गिरा तो पिकअप की कील इसके सिर पर लगी। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि यह अभियुक्त इकबाल को नहीं जानता और ना ही अभियुक्त इकबाल इसे जानता है तथा वहां खड़ी पिकअप किसकी थी, इसके बारे में इसे जानकारी नहीं है तथा परिवादी के साथ इसकी मोटर साईकिल पर ही इसका साथ जा रहे गवाह के रूप में गवाह पी.ड.-3 मुकेश प्रजापत पेश हुआ है जो भी इस बात की ताईद करता है कि इनकी मोटर साईकिल अभियुक्त के ठेले से टकरा गयी और अभियुक्त ने उनसे 500/-रूपये मांगे तो ठेले वाले ने मुकेश की मोटर साईकिल तोड़ दी और मुकेश को धक्का दिया, जिससे मुकेश के सिर में पीछे खड़ी गाड़ी पिकअप की कील लग गई तथा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि यह लोग ठेले वाले को पहले से नहीं जानते और वह भी इन्हें नहीं जानता। गवाह पी.ड.-4 बहादुर सिंह भी अपने बयानों में कहता है कि मुकेश की मोटर साईकिल अभियुक्त इकबाल के ठेले से टकरा गई, जिससे ठेले की रिप टूट गई और मुकेश की मोटर साईकिल का वाईजर टूटा। अभियुक्त ने पैसे मांगे तथा उसके साथ मारपीट करने लग गया और मुकेश के सिर को पास खड़ी पिकअप पर पटक दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई। इसने व मुकेश प्रजापत ने बीच-बचाव करवाया। गवाह पी.ड.-5 धन्नाराम प्रकरण अनुसंधान अधिकारी है, जिसने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि फरियादी की मोटर साईकिल मुलजिम के ठेले से टकराई थी, जिससे ठेले कें टूट-फूट हुई थी तथा यह भी स्वीकार करता है कि इसकी तफ्तीश में नहीं आया कि मुलजिम व फरियादी पहले से एक-दूसरे को जानते हो। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि परिवादी मुकेश की मोटर साईकिल अभियुक्त के

ठेले से टकराने पर अभियुक्त के ठेले में नुकसान हुआ तथा उस नुकसान को ठीक करने के लिये अभियुक्त द्वारा परिवादी से पैसों की मांग की गयी और इसी बात को लेकर अभियुक्त ने परिवादी को धक्का दिया, जिससे परिवादी के सिर में पास खड़ी पिकअप गाड़ी से चोट लगी, जिसकी सम्पुष्टि पी.ड.-1 डॉ. पवन कुमार के बयानों से भी होती है, जिसने मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-1 की ताईद करते हुए यह बताया है कि परिवादी के सिर के पीछे बांयी तरफ एक कुचला हुआ घाव था, जो सामान्य प्रकृति का व कुन्द हथियार से कारित था। अतः अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ स्वेच्छया कुन्द हथियार से साधारण उपहति कारित किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त इकबाल खान आरोपित अपराध धारा 323 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

17- जहां तक अभियुक्त इकबाल खान पर आरोपित अपराध धारा 341 व 427 भा.दं.सं. का संबंध है। यद्यपि अभियुक्त द्वारा परिवादी को सदोष अवरोधित किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी है तथा अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 427 भा.दं.सं. का संबंध है, तो फर्द डैमेज प्रदर्श पी.-5 के अनुसार दिनांक 18.11.2021 को परिवादी की मोटर साईकिल का नुकसान करने पर सामने का वाईजर हेड़लाईट टूटा हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य किसी क्षति का वर्णन फर्द डेमेज में नहीं है तथा स्वयं परिवादी ने स्वीकार किया है कि इसकी मोटर साईकिल अभियुक्त के ठेले से टकराई थी तथा मौके के गवाह के रूप में परीक्षित करवाये गये पी.ड.-4 बहादुर सिंह ने भी अपने बयानों में यह कहा है कि मुकेश की मोटर साईकिल अभियुक्त के ठेले से टकराने से अभियुक्त के ठेले की रिप टूट गई और मोटर साईकिल का वाईजर टूट गया तथा परिवादी की मोटर साईकिल के साथ तोड़-फोड़ करने संबंधी साक्ष्य उक्त गवाह ने नहीं दी है। अतः इस बाबत् सन्देह उत्पन्न होता है कि फर्द डैमेज प्रदर्श पी.-5 में जो क्षति मोटर साईकिल में दिखाई गई है, वह परिवादी द्वारा अभियुक्त के ठेले से टकराये जाने से ही कारित हुई है। अतः अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी की मोटर साईकिल में तोड़-फोड़ कर रिष्टि कारित की हो। अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 341 व 427 भा.दं.सं. के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

18- अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट का संबंध है तो इस संबंध में स्वयं परिवादी पी.ड.-2 मुकेश व उसके साथ मौजूद गवाह पी.ड.-3 मुकेश प्रजापत ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि रास्ते में जाते हुए, उनकी मोटर साईकिल अभियुक्त के ठेले से टकरायी व अभियुक्त उन्हें

पहले से नहीं जानता था और वे भी अभियुक्त को नहीं जानते तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-5 धन्नाराम ने भी स्वीकार किया है कि उसकी तफ्तीश में ऐसा नहीं आया है और मुलजिम और फरियादी एक-दूसरे को पहले से जानते हो। अतः यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त ने परिवादी के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण या उसके अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए परिवादी के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त इकबाल खान पुत्र मसीउल्ला खान, उम्र 33 वर्ष, निवासी पिड़ावा, पुलिस थाना पिड़ावा, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 341 व 427 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(2) परन्तु अभियुक्त इकबाल खान को अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई-

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2022 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(3) उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। अभियुक्त वर्ष 2022 से करीब 4 वर्ष से अधिक अवधि की इस प्रकरण की अन्वीक्षा की वेदना भुगत चुका है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, क्योंकि

उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धि जाहिर नहीं की गयी है। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त इकबाल खान पुत्र मसीउल्ला खान, उम्र 33 वर्ष, निवासी पिड़ावा, पुलिस थाना पिड़ावा, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाए जाने पर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 4** के तहत **10,000/-रुपये** का स्वयं का **मुचलका** एवं इसी राशि की **एक जमानत**, **एक वर्ष** की अवधि के लिए शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावे, उपस्थित आने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त **2,000/-रुपये** बतौर अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करावें, तो उसे इस प्रकरण में सदाचारिता की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे, अन्यथा दण्डादेश सुनाया जावेगा। साथ ही अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 12** के तहत् उपरोक्त दोषसिद्धि के आधार पर पूर्व में या भविष्य में किसी निर्योग्यता/निर्हरता से ग्रसित नहीं होगा।

2- प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी मुकेश को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।